न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज)

पीठासीन अधिकारीः- **मुकेश कुमार सोनी,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या- **13/2026**
CIS No. **13/2026**

रानी पत्नी नितेश पुत्री मांगीलाल, निवासी नैनवा, हाल मुकाम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

....याची संख्या 1

नितेश पुत्र सत्यनारायण, निवासी नैनवा, तहसील नैनवा, जिला बूंदी (राजथान)

.....याची संख्या 2

विवाह विच्छेद याचिका अंतर्गत धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थितः-

1. श्री मनीष श्रृंगी, विद्वान अधिवक्ता, याची सं. 1 की ओर से।
2. श्री भूरालाल मीणा, विद्वान अधिवक्ता, याची सं. 2 की ओर से।

आदेश **दिनांकः 07-03-2026**

1. यह याचिका याचीगण ने संयुक्त रूप से हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (बी) के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 06.10.2025 को पेश की है। याचिका के अनुसार याचीगण का विवाह दिनांक 24 मई 2014 को ग्राम नैनवा में हिन्दू रीति रिवाज एवं सप्तपदी से सम्पन्न हुआ। विवाह के उपरांत याचीगण के मध्य वैचारिक मतभेद होने के कारण उनके मध्य मनमुटाव रहने लगा और आये दिन गृह क्लेश एवं मौन रहने के कारण दोनों का एक साथ पति-पत्नी के रूप में निवास करना असम्भव हो गया। याचीगण ने अपने भविष्य को मध्यनजर रखते हुए तथा भविष्य में किसी प्रकार से उनके मध्य वैवाहिक सम्बन्ध बनने की सम्भावना नहीं होने के कारण स्वेच्छा से उक्त विवाह को आपसी सहमति के आधार पर विच्छेद करने का निर्णय लिया है। याचीगण के कोई संतान नहीं है। याची सं. 1 भविष्य में स्वयं के संबंध में याची सं. 2 से किसी भी प्रकार की भरण पोषण राशि की मांग नहीं करेगी। याचीगण ने आपसी सहमति से उक्त विवाह को माननीय न्यायालय के माध्यम से विच्छेद करने की सहमति प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र

पेश किया है। याची सं. 1 ने अपना समस्त स्त्रीधन, जेवरात व सामान प्राप्त कर लिये हैं।

2. याचिका के अनुसार पक्षकारान 06 वर्ष से एक-दूसरे से पृथक-पृथक जीवन व्यतीत करते चले आ रहे हैं और विवाह विच्छेक के पश्चात भी पृथक-पृथक जीवन व्यतीत करेंगे। पक्षकारान भविष्य में यदि अन्यत्र विवाह करना चाहे तो वे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे। पक्षकारान को पृथक-पृथक रहते 06 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। उक्त अवधि के मध्य उनके मध्य किसी प्रकार का कोई शारीरिक संसर्ग नहीं हुआ है। पक्षकारों के मध्य दुरभिसंधि नहीं है। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की प्रार्थना की गई है।

3. याचीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि वे पिछले 6 वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और उनके मध्य पिछले 5 वर्ष से आपस में तलाक हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन था जिसको याची क्रमांक 1 ने विड्रो करवा लिया है। याचीगण विवाह विच्छेद का मुकदमा पिछले 5 वर्ष से लड़ रहे हैं। अतः याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से विहित छः माह का समय का अधित्यजन किया जाकर पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाए।

4. उभय पक्ष की ओर से साक्ष्य में याची साक्षी क्रमांक 1 रानी शर्मा याची साक्षी क्रमांक 2 नितेश के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गयां

5. बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का निवेदन है कि याची संख्या 1 व 2 वैध विवाहित पति पत्नी हैं जो वर्ष पिछले 06 से परस्पर पति पत्नी के रूप में एक साथ नहीं रहे हैं। उनके बीच वैचारिक मतभेद होने के कारण साथ पति-पत्नी के रूप में रहना संभव नहीं है। उभय पक्षों की साक्ष्य से उनके अभिकथन साबित हैं। याची सं. 1 की ओर से पांच वर्ष पूर्व धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसे प्रत्याह्ति किया जा चुका है। इसलिए धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम में विहित छः माह की अवधि का अधित्यजन किया जाकर पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाए। पक्षकारों के मध्य कोई दुरभि संधि नहीं है।

6. सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। साक्ष्य में याची साक्षी क्रमांक 1 रानी व याची साक्षी क्रमांक 2 नितेश ने अपने शपथ पत्र पेश

किये हैं और स्वयं को न्यायालय में परीक्षित करवाया है। साक्षियों ने अपने सशपथ कथनों में याचिका के तथ्यों का समर्थन किया है। उनकी साक्ष्य है कि वे विगत 06 वर्षों से एक-दूसरे से पृथक रहे रहे हैं। भविष्य में उनके एक साथ रहने की कोई सम्भावना नहीं है। वे स्वेच्छा से विवाह विच्छेद कराना चाहते हैं।

7. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभिकथनों व उभय पक्ष की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि पक्षकार विधिवत विवाहित पति-पत्नी हैं। याचीगण का विवाह दिनांक 24.05.2014 को हुआ था। वे विवाह के पश्चात साथ रहे परन्तु उनके मध्य वैचारिक मतभेद होने के कारण वे करीब छः वर्ष पूर्व से अर्थात दिनांक 20.03.2019 से अलग अलग रह रहे है। उनके मध्य वैचारिक मतभेद बढ़ जाने के कारण परस्पर पति पत्नी के रूप में एक साथ रहना सम्भव नहीं है।

8. यह याचिका दिनांक 06.10.2025 को प्रस्तुत की गई है। यह भी दर्शित होता है कि याची सं. 1 रानी द्वारा याची सं. 2 नितेश के विरूद्ध धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पांच पूर्व एक याचिका " सिविल विविध प्रकरण संख्या 07/2020 रानी बनाम नितेश'' प्रस्तुत की गई थी, जिसे याची सं. 1 द्वारा प्रत्याहित कर लिया गया है। धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम में यह निर्दिष्ट है कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका पेश किये जाने की तारीख से छः माह के पश्चात और 18 माह के पूर्व दोनों पक्षों दारा किए गए प्रस्ताव पर यदि अर्जी वापिस नहीं ले ली गई है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और उचित जांच के पश्चात यह समाधान हो जाने पर कि याचिका में किए गए प्रकथन सही है तो विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करेगा। हस्तगत प्रकरण में यद्यपि यह याचिका दिनांक 06.10.2025 को पेश की गई है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य से यह स्पष्ट है कि याची सं. 1 द्वारा 05 वर्ष पूर्व धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में 6 माह की समयावधि का अधित्यजन किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है। इस प्रकार पक्षकारों की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उनके मध्य वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो चुके हैं जिनके पुनर्जीवित होने की कोई सम्भावना नहीं है। उनकी स्वैच्छिक सहमति होना और उनके मध्य दुरभि संधि होना प्रकट नहीं होता है। उभय पक्ष के मध्य परस्पर समझौता के प्रयास निष्फल रहे हैं।

9. अतः याचिका के तथ्यों व उभय पक्ष की साक्ष्य के दृष्टिगत उनकी ओर से पारस्परिक सहमति से प्रस्तुत यह विवाह विच्छेद याचिका स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

10. अतः याचीगण **रानी** पत्नी नितेश पुत्री मांगीलाल, निवासी नैनवा, हाल मुकाम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.) व **नितेश** पुत्र सत्यनारायण, निवासी नैनवा, तहसील नैनवा, जिला बूंदी (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत **धारा 13(बी) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955** स्वीकार की जाकर उनके मध्य **दिनांक 24.05.2014** को अनुष्ठापित हिन्दू विवाह को पक्षकारों की पारस्परिक सहमति के आधार पर आज **दिनांक 07.03.2026** को विघटित घोषित किया जाता है। उभय पक्ष याचिका का व्यय अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे। धारा 23(4) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पक्षकारों को विवाह विच्छेद की डिक्री की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड (राज.)

11. आदेश आज दिनांक **07.03.2026** को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित मुद्रांकित किया गया एवं विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL WAJID CHISTY
Steno Gr. I "Authenticate Document" Digitally signed by ABDUL WAJID CHISTY Date: 2026.03.11 11:56:27 +0530

नोटः यह प्रतिलिपी प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।